उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

मंगलवार, 21 माघ, शक संवत् 1947

(10 फरवरी, 2026)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क' व 'ख')।

2-समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-बिजनौर में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा छात्रवृत्ति के फार्म भरे जाने में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में डा0 हरी सिंह ढिल्लो व डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

3-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-ब्रम्हरौली आइमा, विकास खण्ड-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

4-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-कोलवा, विकास खण्ड-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी

के निवासियों की ओर से पुलिया का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

5-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भठौरा, विकास खण्ड-पिसावां भिठौरा, जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से पुल का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

6-श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम खरौहा, पोस्ट-इटौरा, विकास खण्ड-रेउसा, जनपद सीतापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

7-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम करसड़ा, विकास खण्ड-कछवां, जनपद-मिर्जापुर के निवासियों की ओर से खेल मैदान का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'छ')

8-डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम-करसड़ा (सगरा), विकास खण्ड-कछवां, जनपद-मिर्जापुर के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ज')

9–श्री सत्यपाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् उसका समर्थन करेंगे :-

''यह सदन मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 09 फरवरी, 2026 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'झ')

लखनऊ :
मंगलवार, 21 माघ, शक संवत् 1947
(10 फरवरी, 2026)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
**1	5-2-2026

नत्थी 'क'

मंगलवार, दिनांक 10 फरवरी, सन् 2026 ई0

अल्पसूचित प्रश्न

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों/कालेजों में वर्ष 2011 में नियुक्त अध्यापकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह

1

**1-(क) क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बतायेंगे कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों/कालेजों में वर्ष 2011 में नियुक्त अध्यापक (एल0 टी0 ग्रेड एवं जे0 टी0 सी0 ग्रेड) की पदोन्नति रिक्त पदों के सापेक्ष कितनी अवधि से लम्बित हैं ?

(ख) उक्त रिक्त पदों के सापेक्ष लम्बित पदोन्नति कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

10 फरवरी, 2026

विधान परिषद् के प्रथम सत्र (2026) का प्रथम मंगलवार

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	29-1-2026
*2	29-1-2026
*3	29-1-2026
*4	31-1-2026
*5	31-1-2026

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	29-1-2026
2	30-1-2026
3	30-1-2026
4	31-1-2026
5	31-1-2026
6	31-1-2026
7	31-1-2026
8	31-1-2026
9	31-1-2026
10	31-1-2026
11	31-1-2026
12	31-1-2026
13	31-1-2026
14	31-1-2026
15	31-1-2026
16	31-1-2026

नत्थी 'ख'

मंगलवार, दिनांक 10 फरवरी, सन् 2026 ई0

तारांकित प्रश्न

इनवेस्टर समिति में प्रतिभाग करने वाली कम्पनियों द्वारा प्रदेश में उद्योग स्थापित कर रोजगार देने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 1

औद्योगिक विकास मंत्री

*1-(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में इनवेस्टर समिति के माध्यम से कितनी कम्पनियों ने भाग लिया है और उनमें से कितनी कम्पनियों ने अपना उद्योग स्थापित करते हुए कार्य शुरू कर दिया है ?

(ख) क्या उक्त कम्पनियों के माध्यम से जिन नवयुवकों को रोजगार प्राप्त हुआ है, उनका रोजगार सुचारु रूप से चल रहा है या दो-चार महीने रोजगार देने के बाद उनको बदल दिया जाता है ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित सहायता प्राप्त (अनुदानित) अनुसूचित जाति छात्रावासों को बिजली बिल, भवन मरम्मत आदि मदों में अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
2

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*2-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित सहायता प्राप्त (अनुदानित) अनुसूचित जाति छात्रावासों एवं पुस्तकालयों को भवन किराया, बिजली बिल, समाचार पत्रादि, टेलीफोन बिल/ब्रॉडबैंड, आकस्मिक व्यय, अन्य व्यय, भवन मरम्मत, रंगाई-पोताई आदि मदों में अनुदान प्रदान किया जाता रहा है ?

(ख) क्या तत्कालीन निदेशक समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2021 में टेलीफोन बिल/ब्रॉडबैंड, आकस्मिक व्यय, अन्य व्यय, भवन मरम्मत तथा रंगाई-पोताई आदि मदों का अनुदान मनमाने ढंग से बंद कर दिया गया था, जिससे छात्रावास संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है ?

(ग) क्या विभाग द्वारा वर्तमान में केवल चार मदों (भवन किराया, बिजली बिल, समाचार पत्रादि तथा कर्मचारियों का मानदेय) में ही अनुदान सीमित कर दिया गया है ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या उल्लिखित मदों में अनुदान की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

आकांक्षी जनपद-सिद्धार्थनगर में दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
3

दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*3-(क) क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 एवं 2025-2026 में आकांक्षी जनपद सिद्धार्थनगर में दिव्यांगजनों को उपकरणों का वितरण कब-कब किया गया ?

(ख) उक्त उपकरणों के वितरण कार्यक्रमों में किन-किन जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था ?

(ग) क्या उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा उक्त अवसर पर प्रश्नकर्ता को आमंत्रित नहीं किया गया था ?

(घ) यदि हाँ, तो क्यों, इसके क्या कारण हैं ?

(ङ) क्या उक्त प्रकरण की जाँच कराकर जांच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

जनपद-कन्नौज के तिर्वा क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के चैनेज 196.9 से 197.30 के मध्य छूटी हुई सर्विस लेन के निर्माण के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 4 — औद्योगिक विकास मंत्री

*4-(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 30 जुलाई, 2024 को मंत्री द्वारा विधान परिषद् के सदन में दिए गए उत्तर के क्रम में बतायेंगे कि जनपद-कन्नौज के तिर्वा क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के चैनेज 196.9 से 197.30 के मध्य छूटी हुई सर्विस लेन (Service Lane) के निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कराये जाने की बात कही गई थी ?

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त कार्य हेतु टेण्डर कब आमंत्रित किया गया था, किस तिथि को सक्षम निविदाकर्ता को कार्य आवंटित किया गया तथा किस तिथि को स्थल पर कार्य प्रारम्भ किया गया ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

आकांक्षी जनपद-सिद्धार्थनगर में दिव्यांगजनों को पेंशन व उपकरण वितरण के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 5 — दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*5-(क) क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बतायेंगे कि आकांक्षी जनपद-सिद्धार्थनगर में कुल कितने दिव्यांगजन हैं, कुल दिव्यांगजन में कितनों को पेंशन तथा कितनों को उपकरण दिया गया है ?

(ख) उक्त जनपद में ऐसे कितने दिव्यांगजन हैं जिन्हें अभी तक कोई सहायता जैसे पेंशन एवं उपकरण नहीं प्रदान किये गये हैं ?

(ग) इसके प्रमुख कारण क्या हैं ?

अतारांकित प्रश्न

श्री पवन कुमार सिंह 1 — समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-गोदलामऊ के विकास खण्ड गोदलामऊ के राजस्व ग्राम-कोदिकापुर में सामुदायिक केन्द्र न होने से ग्रामीणों को सार्वजनिक कार्यक्रम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष सिन्हा 2	2-(क) क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-फतेहपुर, विकास खण्ड-अमौली, ग्राम-अमौली, तहसील-बिन्दकी में शादी अनुदान योजना का लाभ प्रदान किये जाने हेतु रजिस्ट्रेशन संख्या-314361986825R के साथ ही दिनांक 01 नवम्बर, 2025 से दिनांक 16 जनवरी, 2026 तक कितने-कितने व्यक्तियों के शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ? (ख) क्या आवेदनकर्ताओं को शादी अनुदान का लाभ प्रदान कर दिया गया है ? (ग) यदि हाँ, तो कब ? (घ) क्या आवेदनकर्ताओं के नाम पते सहित सूची सदन की मेज पर रखेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री आशुतोष सिन्हा 3	3-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-जौनपुर, तहसील-शाहगंज, ग्राम-कुड़ियारी में रजिस्ट्रेशन संख्या-315815644681 के साथ ही दिनांक 01 अक्टूबर, 2025 से 2 दिसम्बर, 2025 तक कितने आवेदनकर्ताओं ने वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन किये हैं ? (ख) यदि हां, तो क्या उक्त आवेदनकर्ताओं के खाते में पेंशन भेज दी गयी है ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 4	4-(क) क्या पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड-हिलौली में रजिस्ट्रेशन संख्या-313163123325R के साथ ही दिनांक 01 दिसम्बर, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025 के मध्य शादी अनुदान दिये जाने के कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ? (ख) क्या उक्त आवेदनकर्ताओं को शादी अनुदान का लाभ प्रदान करा दिया गया है ? (ग) यदि हाँ, तो कब ? (घ) क्या उक्त आवेदनकर्ताओं के नामों एवं पते की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

डा0 मान सिंह यादव 5	5-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव, ग्राम-लोधी खेड़ा, पोस्ट-लोटना में रजिस्ट्रेशन संख्या 31311072819 व 313112053031 की वर्ष 2024 से अब तक की वृद्धावस्था पेंशन रोक दी गयी है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पेंशन न दिये जाने के क्या कारण है ? (ग) क्या उक्त आवेदनकर्ताओं के खातों में पेंशन प्रेषित कराते हुये नाम और पते सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 6	6-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-जौनपुर, तहसील-शाहगंज, ग्राम-परासिन, पोस्ट पट्टीचकेसर में रजिस्ट्रेशन संख्या-315814173921 व 31581097065 के दिनांक 19 मई, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक के वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन किये गये हैं ? (ख) क्या उक्त रजिस्ट्रेशन संख्या-315814173921 व 31581097065 की पहली किश्त देने के बाद अन्य किश्तें बन्द कर दी गयी हैं ? (ग) उक्त आवेदनकर्ताओं की रुकी हुए वृद्धावस्था पेंशन कब तक प्रदान करायेंगे ? (घ) यदि हाँ, तो क्या उक्त आवेदनकर्ताओं के नामों एवं पते की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 7	7-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री परिषद् की बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 के तृतीय सत्र, 2025 को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-7 के क्रम में बतायेंगे कि आवेदन संख्या-31311063984 को वर्ष 2025-26 में किस बैंक खातों में वृद्धावस्था पेंशन किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी किस्तों में भेजी गई ? (ख) यदि नहीं भेजी गई है तो क्या पेंशन भेजवायेंगे ? (ग) क्या उक्त आवेदनकर्ता के बैंक खाता संख्या तथा भेजी गई किस्तों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
श्री पवन कुमार सिंह 8	8-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-कसमण्डा के अन्तर्गत ग्राम सभा-दुलारपुर में बारातघर (सार्वजनिक/सामुदायिक भवन) न	समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

होने से ग्राम पंचायत के लोगों को सामाजिक, वैवाहिक एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में आर्थिक एवं सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु बारातघर (सार्वजनिक/सामुदायिक भवन) का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 9 — 9-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-पहला के अन्तर्गत ग्राम सभा-कोरार में बारातघर (सार्वजनिक/सामुदायिक भवन) न होने से ग्राम पंचायत के लोगों को सामाजिक, वैवाहिक एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में आर्थिक एवं सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? — समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु बारातघर (सार्वजनिक/सामुदायिक भवन) का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 10 — 10-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-पहला के अन्तर्गत ग्राम सभा-लोधौरा राजा साहब में बारातघर (सार्वजनिक/सामुदायिक भवन) न होने से ग्राम पंचायत के लोगों को सामाजिक, वैवाहिक एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में आर्थिक एवं सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? — समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु बारातघर (सार्वजनिक/सामुदायिक भवन) का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 11 — 11-(क) क्या युवा कल्याण एवं खेल मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड कसमण्डा के अन्तर्गत ग्राम सभा-दुलारपुर में खेल का मैदान/स्टेडियम न होने से ग्राम पंचायत एवं आस-पास के युवाओं एवं खिलाड़ियों को खेल गतिविधियों हेतु काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी खेल प्रतिभा के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है ? — युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु खेल का मैदान/स्टेडियम का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 12 — युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

12-(क) क्या युवा कल्याण मंत्री यह बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-पहला अन्तर्गत ग्राम सभा-कोरार में खेल का मैदान/स्टेडियम न होने से ग्राम पंचायत एवं आस-पास के युवाओं एवं खिलाड़ियों को खेल गतिविधियों हेतु काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी खेल प्रतिभा के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है ?

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु खेल का मैदान/स्टेडियम का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 13 — समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

13-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-हरगांव, ग्राम-कटका में वृद्धावस्था पेंशन के सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीतापुर के माध्यम से बताया गया है कि कार्यवाही पूर्ण कर फाइनल फ्रीज व वेरीफाई कर दिया गया है ?

(ख) उक्त की आई0जी0आर0एस0 संख्या 92515400055903 व रजिस्ट्रेशन संख्या 31291058741 है ?

(ग) क्या उक्त आवेदनकर्ताओं के खाते में वृद्धावस्था पेंशन भेज दी गयी है ?

(घ) यदि नहीं, तो उक्त के विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

(ङ) क्या उक्त की सूची सदन की मेज पर रखेंगे ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 14 — कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

14-(क) क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री द्वारा विधान परिषद् की बैठक दिनांक 12 अगस्त, 2025 द्वितीय सत्र में प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-03 के उत्तर के क्रम में बतायेंगे कि वर्ष 2021 में अनुबन्ध संख्या-813 दिनांक 24 मार्च, 2021 के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य कराया गया है ?

(ख) क्या उक्त सड़क अत्यधिक जर्जर हो गई है जिससे आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

(ग) क्या उक्त कार्य वित्तीय वर्ष 2026-27 में सड़क के लेपन का कार्य कराया जायेगा ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 15

15-(क) क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड पहला अन्तर्गत ग्राम सभा लोधौरा राजा साहब में खेल का मैदान/स्टेडियम न होने से ग्राम पंचायत एवं आस-पास के युवाओं को एवं खिलाड़ियों को खेल गतिविधियों हेतु काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी खेल प्रतिभा के विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है ?

युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु खेल का मैदान/स्टेडियम का निर्माण कार्य करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 16

16-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बताएंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा आपको प्रेषित पत्र, पत्रांक सं0 464/BJPUP/2025, दिनांक 06-11-2025 जिसमें जनपद बाराबंकी के ग्राम पंचायत भिलवल विकास खण्ड त्रिवेणीगंज में बारातघर का निर्माण किये जाने का आग्रह किया गया था ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ख) क्या उक्त के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(घ) क्या उक्त ग्राम पंचायत भिलवल में बारातघर का निर्माण करवायेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड-हैदरगढ़, ग्राम ब्रम्हरौली आइमा में पाण्डेय का पुरवा बार्डर से बटयूशहीदन होते हुये इन्हौना लखनऊ-सुल्तानपुर हाई-वे तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड-हैदरगढ़, ग्राम ब्रम्हरौली आइमा में पाण्डेय का पुरवा बार्डर से बटयूशहीदन होते हुये इन्हौना लखनऊ-सुल्तानपुर हाई-वे तक सड़क बहुत जर्जर अवस्था में होने के कारण ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड-हैदरगढ़, ग्राम ब्रम्हरौली आइमा में पाण्डेय का पुरवा बार्डर से बटयूशहीदन होते हुये इन्हौना लखनऊ-सुल्तानपुर हाई-वे तक सड़क का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड-हैदरगढ़ के ग्राम कोलवा के इंसान चौराहा रोड से इन्हौना रोड पर सम्भागढ़ी में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना हैं कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड-हैदरगढ़ के ग्राम कोलवा के इंसान चौराहा रोड से इन्हौना रोड पर सम्भागढ़ी में पुलिया न होने के कारण आये दिन ग्राम वासियों व क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पुलिया निर्माण कार्य कराये जाने हेतु हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत् हैं। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड-हैदरगढ़ के ग्राम कोलवा के इंसान चौराहा रोड से इन्हौना रोड पर सम्भागढ़ी में पुलिया बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

06 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-पिसावां भिठौरा के ग्राम पंचायत-भठौरा में कठिना नदी पर भिठौरा घाट के पास एक पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-पिसावां भिठौरा के ग्राम पंचायत-भठौरा में कठिना नदी पर भिठौरा घाट के पास एक पुल का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में यहां पुल न होने के कारण नदी पार करना कठिन एवं जोखिमपूर्ण बना रहता है। जिससे ग्रामवासियों के दैनिक आवागमन में भारी परेशानी होती है।

उक्त मार्ग शहाबाद हरदोई से भकुरहा होते हुये कुतुबनगर से लखनऊ को सीधे जोड़ता है पुल न होने से आवागमन बाधित होता है जिससे विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों तथा आपात कालीन सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-पिसावां भिठौरा के ग्राम पंचायत-भठौरा में कठिना नदी पर भिठौरा घाट के पास एक पुल बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-रेउसा, पोस्ट-इटौरा, ग्राम-खरौहा में इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-रेउसा, पोस्ट-इटौरा, ग्राम-खरौहा के अन्तर्गत सी0सी0 रोड से भगवान शिव (शंकर जी) के मन्दिर तक लगभग 150 मीटर सँकरा मार्ग होने के कारण ग्रामवासियों के आने-जाने का मुख्य मार्ग है। इसी मार्ग के माध्यम से गाँव के बाहर स्थित सी0सी0 सड़क तक पहुंचते हैं। साथ ही बरसात के मौसम में मार्ग पर जलभराव रहता है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-रेउसा, पोस्ट-इटौरा, ग्राम-खरौहा में इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'छ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-कछवां, ग्राम करसड़ा में खेल मैदान का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-कछवां, ग्राम-करसड़ा में खेल मैदान न होने के कारण आये दिन सामाजिक संगठनों द्वारा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं हो पाता। खेल की गतिविधियों को सीखने हेतु युवाओं को सीखना बहुत आवश्यक है। जिसके लिये ग्रामीण के प्रतिभाओं को गांव से लेकर विभिन्न स्तरों पर खेलने हेतु अवसर मिले। इसके लिये ग्राम-पंचायत में एक खेल का मैदान होना अति आवश्यक है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-कछवां, ग्राम-करसड़ा में बरात घर का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ज'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-कछवां, ग्राम-करसड़ा (सगरा) में श्री बैजू प्रसाद आर्य के घर से (कुआं के बगल) से श्रीमती धर्मा देवी पत्नी श्री जीतन प्रसाद के घर तक तथा श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिव नरेश के घर से होते हुये श्री विकास जैसवारा पुत्र श्री हरिनाथ जैसवारा के घर से लेकर श्री बब्बू कुमार पुत्र श्री झूरी प्रसाद के घर से श्री बुद्धू कुमार (सेक्टरी) के घर के उत्तरी छोर (कुआं तक) लगभग 400 मीटर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-कछवां, ग्राम-करसड़ा (सगरा) में श्री बैजू प्रसाद आर्य घर के सामने (कुआं के बगल) से श्रीमती धर्मा देवी पत्नी श्री जीतन प्रसाद के घर तक, पुनः श्री बैजू प्रसाद आर्य के घर के पीछे से लेकर श्री विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री शिव नरेश के घर तक, श्री विकास जैसवारा पुत्र श्री हरिनाथ जैसवारा के घर से लेकर श्री बब्बू कुमार पुत्र श्री झूरी प्रसाद के घर तक, एवं श्री बुद्धू कुमार (सेक्टरी) के घर से लेकर गांव के उत्तरी छोर (कुआं तक) लगभग 400 मीटर सड़क का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। स्थानीय निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-कछवां, ग्राम-करसड़ा (सगरा) में लगभग 400 मीटर सड़क निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'झ'

मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों की सूची

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
1	सर्वश्री लाल बिहारी यादव, राजेन्द्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा, किरण पाल कश्यप, (डॉ0) मान सिंह यादव, मो0 जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान, मुकुल यादव व श्री शाह आलम।	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- ''किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-बिगड़ी कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किये जाने तथा प्रदेश में हो रही हत्या, अपहरण, साइबर क्राइम डकैती, लूट व बलात्कार में लगातार हो रही वृद्धि को रोके जाने के सम्बन्ध में, 2-शिक्षा के गिरते हुए स्तर सुधारने के सम्बन्ध में, 3-संविधान में नौकरियों में एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 को दिये गये आरक्षण का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में, 4-माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, 5-शिक्षण संस्थाओं पर बिजली की दर व्यवसायिक रेट से ज्यादा लगाये जाने के सम्बन्ध में, 6-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश में रुके विकास कार्य को प्रारम्भ करने के उपाय के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश की 17 जातियों को अनुसूचित जाति के अनुरूप सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में, 9-माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा नियमावली की समीक्षा किये जाने के सम्बन्ध में, 10-शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल किये जाने के सम्बन्ध में, 11-चयन बोर्ड आयोग की धारा 21, 18 व 12 को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

12-मदरसों में आधुनिक शिक्षकों का बकाया मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

13-मदरसा विद्यालयों की जाँच विभिन्न विभागों से कराने के नाम पर विद्यालयों का उत्पीड़न बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,

14-आश्रम पद्धति विद्यालयों के संविदा शिक्षकों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

15-विषय विशेषज्ञों पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

16-राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ किये जाने के सम्बन्ध में,

17-प्रोन्नति वेतनमान व एरियर का भुगतान की पत्रावलियों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में,

18-शिक्षामित्रों का मानदेय महंगाई के अनुसार किये जाने के सम्बन्ध में,

19-बोर्ड परीक्षा केन्द्र की नीति में सभी बच्चियों को बाह्य केन्द्र की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

20-शीतकालीन अवकाश में ग्रीष्मकालीन विशेष अवकाश में बच्चों के साथ अध्यापकों को भी अवकाश दिये जाने के सम्बन्ध में,

21-शिक्षण सत्र पूर्व की भाँति जुलाई से जून की पुरानी व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

22-प्रधानाचार्यों की नियुक्तियाँ तथा उसमें आरक्षण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

23-बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनाते समय संस्थाओं को एक समान अंक दिया जाय। राजकीय, एडेड, वित्त विहीन का भेदभाव समाप्त किया जाय, जैसे-राजकीय को 50 अंक, एडेड को 40 अंक और वित्त विहीन विद्यालय को 20 अंक निर्धारित हैं,

24-बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनाते समय विद्यालयों का संसाधन एवं मुख्य सड़कों को आधार बनाये जाने के सम्बन्ध में,

25-बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिए केन्द्र व्यय दिये जाने के सम्बन्ध में,

26-माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में दिये गये प्राविधानों के मानक के अनुसार एडमीशन व क्लास परमीशन, अध्यापकों की उपलब्धता के अनुसार एडमीशन लिये जाने के सम्बन्ध में,

27-एडेड जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में,

28-प्राथमिक विद्यालयों में N.C.E.R.T. पुस्तकें लागू किये जाने तथा पुस्तकों की उपलब्धता के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

29–शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के शिक्षकों के सेवानिवृत्त की आयु 60 से 62 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में,

30–बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–12(ग) का अनुपालन प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

31–पूर्ववर्ती सरकार की भॉति जिनके पास रहने को मकान नहीं है उन्हें गरीब आवास योजना के तहत पक्के मकान (एक लाख बीस हजार से बढ़ाकर तीन लाख पचास हजार) मुफ्त में दिये जाने के सम्बन्ध में,

32–सरकार द्वारा नये धान गेहूँ खरीद केन्द्र नहीं खोले जाने एवं खरीद केन्द्रों पर हो रही धांधली के सम्बन्ध में,

33–पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गरीब का 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन पुनः दिये जाने के सम्बन्ध में,

34–ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई हेतु 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

35–छात्र-छात्राओं को लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

36–ओला वृष्टि व वर्फ बारी से नष्ट हुयी फसलों की क्षतिपूर्ति के बारे में,

37–प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में,

38–प्रदेश के बुनकरों के पावरलूम उद्योग को सुधारने हेतु नियमित विद्युत आपूर्ति, और बुनकरों को किसानों की भॉति फ्लैट रेट पर विद्युत दिये जाने के सम्बन्ध में,

39–प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को रोके जाने के सम्बन्ध में,

40–प्रदेश की जर्जर सड़कों पर गढ्ढा मुक्ति के नाम पर सरकारी धन की लूट के सम्बन्ध में,

41–प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये भुगतान के सम्बन्ध में,

42–गन्ना किसानों का भुगतान न होने पर गन्ना किसानों द्वारा आत्महत्या रोके जाने के सम्बन्ध में,

43–प्रदेश के बेरोजगार उर्दू मोअल्लिम डिग्री धारकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,

44–प्रदेश के अधिकारियों द्वारा सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में,

45–पूरे प्रदेश में बिजली के बिलों में फर्जी बढ़ोत्तरी दिखाकर शोषण बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,

46–ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
		47–सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को मुफ्त दवाइयां व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश के बाद भी मुफ्त दवाइयां व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराये जाने तथा नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में, 48–भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं धर्म के आधार पर आतंक का माहौल पैदा करने एवं धन की वसूली पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में, 49–प्रदेश के अधिवक्ताओं को भत्ता दिये जाने तथा अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बार कौंसिल उ0प्र0 को सरकार द्वारा बजट में कमी किये जाने के सम्बन्ध में, 50–पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण पूरा किये जाने के सम्बन्ध में, 51–अल्प संख्यक वर्ग व पिछड़े वर्ग के छात्रों की रुकी हुयी छात्रवृति को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, 52–राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किए जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में, 53–राज्य कर्मचारियों को कोविड–19 के कारण बन्द किये गये भत्ते आदि को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में, 54–समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर राजनैतिक द्वेष भावना से लगाये जा रहे फर्जी मुकदमे पर रोकथाम लगाये जाने के सम्बन्ध में, 55–प्रदेश के गरीब लड़कियों की शादी के अनुदान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है, 56–पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमी लेयर की आय सीमा पिछली सरकार में किये गये दस लाख रुपये तक किये जाने के सम्बन्ध में, 57–एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में, 58–बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को आवश्यकतानुसार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में, 59–छात्र यूनियनों को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में, 60–प्रदेश सरकार की तुष्टिकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में, 61–किन्नर समाज कल्याण के बारे में, 62–बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में, 63–सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में।''

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।